न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 181/2011

वादीगण :-

1. विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-लिलिया
2. गीतादेवी पत्नि रामदेव
   जाति-जाट,निवासी-लिलिया
3. तुलसीदेवी पत्नि बुद्धाराम
   जाति-गुर्जर, निवासी-जसनगर
   तह0-मेडतासिटी, जिला-नागौर(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पोकरराम पुत्र हजारीराम
   जाति-जाट,निवासी-रास
2. रतनलाल पुत्र आसूराम राईका
   निवासी-श्यामपुरा,तह0-रायपुर
3. गणपतलाल पुत्र गायड़राम राईका
   निवासी-रास, तह0-जैतारण
4. शैतानराम पुत्र अनोपराम राईका
   निवासी-बांजाकुड़ी, तह0-जैतारण
5. सत्यनारायण पुत्र मुल्तानराम टांक
   निवासी-बलाड़ा, तह0-जैतारण
6. विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत
   निवासी-डिगरना, तह0-जैतारण
7. सत्यनारायणसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-जसनगर
   तहसील-मेड़तासिटी, जिला-नागौर
8. मो. युसुफ खान पुत्र हबीबुर्रहमान
   जाति-मुसलमान,निवासी-मेड़ता
   तहसील-मेड़तासिटी, जिला-नागौर
9. राजेश पुत्र पूनमचंद मेवाड़ा
   निवासी-जैतारण, तह0-जैतारण
10. हरीसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत
    निवासी-रास, तह0-जैतारण
11. तहसीलदार, जैतारण
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.05.08.2011**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 04/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-रास-प्रथम, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1234 रकबा 1-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1238 रकबा 4-14 बीघा किस्म चा0प्र0 खसरा नम्बर 1239 रकबा 3-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1240 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-4 कुल रकबा 10-11 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादीगण 1/2 हिस्से के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काबिज खातेदार काश्तकार हैं। शेष आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की हैं। जिसके पक्षकारान् रिकॉर्डिड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस भूमि की वाद पत्र के साथ पेश की है। इस भूमि को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश वाद पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में कीमतें बढ़ गई हैं। इसी वजह से प्रतिवादीगण की नियत अब खराब हो गई हैं। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर आधूनिक तरीके से काश्त करने हेतु उपजाउ मिट्टी खाद आदि डालकर भूमि पर उपयोग / उपभोग करना चाहते हैं। मौके पर आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच अलग-अलग बंटी हुई नहीं होने से व राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद होता रहता हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी संयुक्त व शामलाती हैं। इस वजह से वादीगण अपने हक हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्ण काश्त करने में असफल हो रहे हैं। साथ ही वादीगण भूमि शामलाती होने की वजह से बैंक से अपना शाख पत्र भी नहीं बनवा पा रहे हैं। इसी वजह से वादीगण ने प्रतिवादीगण से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादीगण रतनलाल, विजयसिंह ऐसा बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे हैं तथा दिनांक 15/07/2011 को प्रतिवादीगण ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट ईन्कार कर दिया। जबकि वादीगण अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी हैं। तब इस अवस्था में वादीगण के पास यह बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं, जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण रतनलाल व विजयसिंह झगडालू प्रवृति के हैं, जो इस विवादित आराजी का बिना बंटवाड़ा कराये ही इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचान कर इस भूमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी क्रेता को सौंप देना चाह रहे हैं। साथ ही वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने में बाधा व अड़चन भी पैदा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण की नियत बद हैं। वह वादीगण के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं व इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को बेचान कर अजनबी क्रेता को सौंप देना चाह रहे हैं। इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रहे हैं। वादीगण कानून को मानने वाले शांत प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिनके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं तथा वादीगण को उनके आराजी में प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहे हैं। प्रतिवादीगण वादीगण व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकड़ियों के बल पर वादीगण को बेदखल कर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वादीगण अपने खातेदारी भूमि का उपयोग / उपभोग करने से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 11 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 15/07/2011 को प्रतिवादीगण रतनलाल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व विजयसिंह द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने पर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम-रास-प्रथम तहसील-जैतारण में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर ग्याद व भीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा करवाया जाने तथा जरिए स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को पाबन्द किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। इससे राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए समनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 9 से 11 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 तथा 7 ने दिनांक 10/01/12 को तहरीरी राजीनामा पेश किया, जिसे पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। उक्त राजीनाम में अंकित किया कि सरहद मौजा-रास-। में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1234, 1238, 1239 व 1240 कुल किता-4 कुल रकबा 10-11 बीघा की भूमि में वादीगण का 1/2वां हिस्सा एवं प्रति0 का 1/2 हिस्सा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी मौके पर माफिक अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज हैं एवं हिस्से अनुसार ही अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाह रहे हैं व तैयार हैं। इस प्रकार उक्त राजीनामा द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने में सहमति व्यक्त की हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-रास पर पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण को लोक अदालत की भावना से आदेशित किया जाता हैं कि वे उक्त विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाकर विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने फर्द मौका / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश की, सा0मि0 किया गया। वकील वादी एवं प्रति0 मय प्रति0 संख्या 3 व 8 को सुना गया। उपस्थित वकुलाय एवं पक्षकारानों ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 04/07/15 को पक्षकारानों में किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री पर्चा किया जाकर विभाजन / बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04/07/2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-प्रथम, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1234 रकबा 1-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1238 रकबा 4-14 बीघा किस्म चा0प्र0 खसरा नम्बर 1239 रकबा 3-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1240 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-4 कुल रकबा 10-11 बीघा की भूमि का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत सा0 डिगरना 3/4 बुधाराम पुत्र ओगड़राम कौम-जाट सा0 बलाड़ा 1/4 खोतदार।	1234/1	0-17-00	चा0प्र0	2.97 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2	गोपालराम पुत्र घेवरराम कौम–रेगर सा० देह सुरेशचन्द पुत्र किशनाराम कौम–रेगर सा० आसरलाई, गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम–जाट सा० लिलिया तह०–मेड़तासिटी, जिला–नागौर तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम–गुर्जर सा० जसनगर तह०–मेड़तासिटी जिला– नागौर खातेदार।	1234	0-18-00	चा०प्र०	3.15 रू.
3	रतनलाल पुत्र आसुराम राईका सा० श्यामपुरा तह०–रायपुर 8033/10236 सत्यनारायणसिंह पुत्र कुंदनसिंह कौम–राजपूत सा० जसनगर तह०–मेड़तासिटी 2203/10236 = 1/4 बबली पत्नि पोकरराम कान्ता पुत्री पोकरराम कौम–जाट सा० देह 3/4 खातेदार।	1238/1	2-07-00	चा०प्र०	8.22 रू.
4	विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह कौम–राजपूत गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम–जाट सा० लिलिया तह०–मेड़तासिटी, जिला–नागौर तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम–गुर्जर सा० जसनगर तह० मेड़तासिटी खातेदार।	1238	2-07-00	चा०प्र०	8.23 रू.
5	रतनलाल पुत्र आसुराम राईका सा० श्यामपुरा तह०–रायपुर 23718/30404 हरिसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति–रावणा राजपूत सा० रास 990/30404 मोहम्मद युसुफ खान पुत्र हबीबुर्रहमान कौम–मुसलमान सिपाही मेड़तासिटी जिला–नागौर 1751/30404 राजेश मेवाड़ा पुत्र पूनमचन्द मेवाड़ा सा० जैतारण, 1605/30404 गणपतराम पुत्र गायड़राम कौम–राईका सा० रास 1740/30404 शैतानराम पुत्र अनोपराम कौम–राईका सा० बांजाकुड़ी 200/30404 सत्यनारायण पुत्र मुलतानमल कौम–टाक सा० बलाड़ा 400/30404 = 349/375 विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत सा० डिगरना 26/375 खातेदार।	1239/1	1-18-00	चा०प्र०	6.56 रू.
6	विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह कौम–राजपूत गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम–जाट सा० लिलिया तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम–गुर्जर सा० जसनगर, तहसील–मेड़तासिटी, जिला–नागौर खातेदार।	1239	1-17-00	चा०प्र०	6.56 रू.

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (पाली)

Scanned by CamScanner

7	विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह कौम–राजपूत गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम–जाट सा0 लिलिया तहसील–मेड़तासिटी, तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम–गुर्जर सा0 जसनगर, तहसील–मेड़तासिटी, जिला–नागौर 1/2। बबली पत्नि पोकरराम कान्ता पुत्री पोकरराम कौम–जाट 1/2 खातेदार।	1240	0-07-00	गै.मु.बेरा	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-लिलिया
2. गीतादेवी पत्नि रामदेव
   जाति-जाट,निवासी-लिलिया
3. तुलसीदेवी पत्नि बुद्धाराम
   जाति-गुर्जर, निवासी-जसनगर
   तह0-मेडतासिटी, जिला-नागौर(राज.)

1. पोकरराम पुत्र हजारीराम
   जाति-जाट,निवासी-रास
2. रतनलाल पुत्र आसूराम राईका
   निवासी-श्यामपुरा,तह0-रायपुर
3. गणपतलाल पुत्र गायड़राम राईका
   निवासी-रास, तह0-जैतारण
4. शैतानराम पुत्र अनोपराम राईका
   निवासी-बांजाकुड़ी, तह0-जैतारण
5. सत्यनारायण पुत्र मुल्तानराम टांक
   निवासी-बलाड़ा, तह0-जैतारण
6. विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत
   निवासी-डिगरना, तह0-जैतारण
7. सत्यनारायणसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-जसनगर
   तहसील-मेड़तासिटी, जिला-नागौर
8. मो. युसुफ खान पुत्र हबीबुर्रहमान
   जाति-मुसलमान,निवासी-मेड़ता
   तहसील-मेड़तासिटी, जिला-नागौर
9. राजेश पुत्र पूनमचंद मेवाड़ा
   निवासी-जैतारण, तह0-जैतारण
10. हरीसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत
    निवासी-रास, तह0-जैतारण
11. तहसीलदार, जैतारण
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:181/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04/07/2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-प्रथम, पटवार हल्का-रास-प्रथम, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1234 रकबा 1-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1238 रकबा 4-14 बीघा किस्म चा0प्र0 खसरा नम्बर 1239 रकबा 3-15 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1240 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-4 कुल रकबा 10-11 बीघा की भूमि का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत सा0 डिगरना 3/4 बुधाराम पुत्र ओगड़राम कौम–जाट सा0 बलाड़ा 1/4 खोतदार।	1234/1	0-17-00	चा0प्र0	2.97 रू.
2	गोपालराम पुत्र धेवरराम कौम–रेगर सा0 देह सुरेशचन्द पुत्र किशनाराम कौम–रेगर सा0 आसरलाई, गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम–जाट सा0 लिलिया तह0–मेड़तासिटी, जिला–नागौर तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम–गुर्जर सा0 जसनगर तह0–मेड़तासिटी जिला– नागौर खातेदार।	1234	0-18-00	चा0प्र0	3.15 रू.
3	रतनलाल पुत्र आसुराम राईका सा0 श्यामपुरा तह0–रायपुर 8033/10236 सत्यनारायणसिंह पुत्र कुंदनसिंह कौम–राजपूत सा0 जसनगर तह0–मेड़तासिटी 2203/10236 = 1/4 बबली पत्नि पोकरराम कान्ता पुत्री पोकरराम कौम–जाट सा0 देह 3/4 खातेदार।	1238/1	2-07-00	चा0प्र0	8.22 रू.
4	विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह कौम–राजपूत गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम–जाट सा0 लिलिया तह0–मेड़तासिटी, जिला–नागौर तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम–गुर्जर सा0 जसनगर तह0 मेड़तासिटी खातेदार।	1238	2-07-00	चा0प्र0	8.23 रू.
5	रतनलाल पुत्र आसुराम राईका सा0 श्यामपुरा तह0–रायपुर 23718/30404 हरिसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति–रावणा राजपूत सा0 रास 990/30404 मोहम्मद युसुफ खान पुत्र हबीबुर्रहमान कौम–मुसलमान सिपाही मेड़तासिटी जिला–नागौर 1751/30404 राजेश मेवाड़ा पुत्र पूनमचन्द मेवाड़ा सा0 जैतारण, 1605/30404 गणपतराम पुत्र गायड़राम कौम–राईका सा0 रास 1740/30404 शैतानराम पुत्र अनोपराम कौम–राईका सा0 बांजाकुड़ी 200/30404 सत्यनारायण पुत्र मुलतानमल कौम–टाक सा0 बलाड़ा 400/30404 = 349/375 विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत सा0 डिगरना 26/375 खातेदार।	1239/1	1-18-00	चा0प्र0	6.56 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

6	विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह कौम-राजपूत गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम-जाट सा0 लिलिया तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम-गुर्जर सा0 जसानगर, तहसील-मेड़तासिटी, जिला-नागौर खातेदार।	1239	1-17-00	चा0प्र0	6.56 रू.
7	विष्णुकंवर पत्नि अजीतसिंह कौम-राजपूत गीतादेवी पत्नि रामदेव कौम-जाट सा0 लिलिया तहसील-मेड़तासिटी, तुलसीदेवी पत्नि गुदाराम कौम-गुर्जर सा0 जसानगर, तहसील-मेड़तासिटी, जिला-नागौर 1/2। बबली पत्नि पोकरराम, कान्ता पुत्री पोकरराम कौम-जाट 1/2 खातेदार।	1240	0-07-00	गै.मु.बेरा	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 04/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/07/2015 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२	००	स्टाम्प वकालतनामा	२	००
स्टाम्प वकालतनामा	१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	३	००	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	९	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	१५	००	मिजानः-	२	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner